न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/155 **दायरा दिनांक : 13.09.2022**

उनवान

1– स्वर्गीय हरलाल आत्मज श्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा तहसील बारां जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान–
1/1–कालीबाई पत्नी स्व० श्री हरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां
1/2–प्रेमचन्द पुत्र स्व० श्री हरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां
1/3–रामू पुत्र स्व० श्री हरलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां
1/4–पुरुषोत्तम पुत्र स्व० श्री हरलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां
2– प्रिया राजावत पुत्री प्रताप सिंह जी राजावत जाति राजपूत निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां

–अपीलान्ट

बनाम

1– कैसरा आत्मज श्रीलाल जाति धाकड निवासी आमापुरा हाल निवासी ग्राम रीठोद पोस्ट तिसाया तहसील किशनगंज जिला बारा
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बारां जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या 2022/156 (काउण्टर क्लेम) **दायरा दिनांक : 13.09.2022**

उनवान

1– स्वर्गीय हरलाल आत्मज श्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा तहसील बारां जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान–
1/1–कालीबाई पत्नी स्व० श्री हरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां
1/2–प्रेमचन्द पुत्र स्व० श्री हरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां
1/3–रामू पुत्र स्व० श्री हरलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां
1/4–पुरुषोत्तम पुत्र स्व० श्री हरलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां
2– प्रिया राजावत पुत्री प्रताप सिंह जी राजावत जाति राजपूत निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां

–अपीलान्ट

बनाम

1– कैसरा आत्मज श्रीलाल जाति धाकड निवासी आमापुरा हाल निवासी ग्राम रीठोद पोस्ट तिसाया तहसील किशनगंज जिला बारा
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बारां जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओमप्रकाश मेहता–।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 10.12.2024

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या 106/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2022 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 06.06.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट द्वारा एक वाद अन्तर्गत 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम आमापुरा की आराजी खसरा नं. 57 रकबा 0.92 हेक्टर, खसरा नं. 58 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नं. 94 रकबा 0.70 हेक्टर, खसरा नं. 152 रकबा 0.46 हेक्टर, खसरा नं. 271/651 रकबा 1.31 हेक्टर, खसरा नं. 582 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नं. 583 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नं. 585 रकबा 0.23 हेक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 4.50 हेक्टर आराजी स्थित है। यह वादग्रस्त आराजी राजस्व कागजात में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के नाम बांट बराबर में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय बारां ने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2022 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 06.06.2022 से वादी का वाद स्वीकार किया एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटगण द्वारा अपील के साथ काउण्टर क्लेम की अपील भी पेश की गयी है।

अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–2–2022 एंवम् संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 6–6–2022 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पो० नं० 1 कैसरा द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 डिक्री फरमा कर विवादित भूमि वाके ग्राम आमापुरा तहसील बारां की कुल 8 किता की 4.50 हेक्टर सम्पूर्ण भूमि का वादी रेस्पो० नं० 1 कैसरा को खातेदार घोषित किये जाने का तथा प्रतिवादी नं० 1 हरलाल का नाम खाते से खारिज किये जाने का एवं प्रतिवादी अपीलान्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने में त्रुटि की है कि प्रतिवादी अपीलान्ट वादी रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भेरूलाल जी एवं हरलाल प्रतिवादी नं० 1 के परिवार का शजरा निम्न प्रकार है

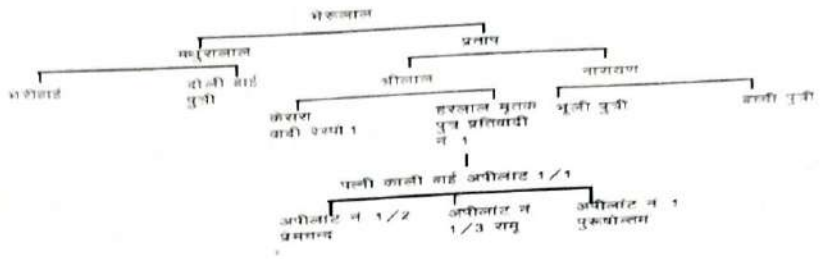

अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त वाद कैसरा बनाम हरलाल वगैरा मे प्रतिवादी हरलाल की और से वकील साहब पं० मदन गोपाल जी शर्मा एडवोकेट, वकील नियुक्त थे एंवम् पैरवी कर रहे थे। दौराने दावा प्रतिवादी नं० 1 हरलाल की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसके वारिसान उसकी पत्नी श्रीमती काली बाई एवं पुत्र प्रेम चन्द, रामू, पुरुषोत्तम अपीलान्ट उसके कायम मुकाम बनाये गये थे। प्रतिवादी अपीलान्ट की और से पं० मदन गोपालजी शर्मा वकील नियुक्त थे। उक्त वकील साहब ने अपीलान्ट (प्रतिवादीगण) को हर तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिये मना कर दिया था। आवश्यकता होने पर सूचना देने का आश्वासन दिया था। प्रतिवादीगण अपीलान्ट वकील साहब पं० मदन गोपाल जी शर्मा के भरोसे रहे। परन्तु अचानक दिनांक 6–9–2015 को उक्त वकील साहब की अचानक मृत्यु हो गई थी। जिसकी सूचना प्रतिवादीगण अपीलान्ट को नहीं हो सकी थी। पं० मदन गोपाल जी शर्मा वकील साहब की मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी उक्त वकील साहब की हाजरी लिखी जाती रही। दिनांक 29–09–2016 को वकील साहब प्रतिवादी एंव प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 15–02–2022 को पारित की गई थी तथा संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–06–2022 को प्रतिवादीगण अपीलान्ट की अनुपस्थिती में एक पक्षीय रूप से पारित किया गया था। प्रतिवादीगण अपीलान्ट के वकील साहब की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण अपीलान्ट को प्रकरण की तारीख पेशी बाबत जानकारी नहीं होने से प्रतिवादीगण अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। उपरोक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण को दावे की पुनः सूचना प्रेषित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी नं० 1 हरलाल जी मथुरालाल जी आत्मज भेरूलाल जी का गोद पुत्र नहीं था तथा मथुरालाल जी ने प्रतिवादी नं० 1 हरलाल को गोद नहीं लिया था। वादी रेस्पो० नं० 1 कैसरा द्वारा प्रतिवादी नं० 1 का गोद पुत्र होना प्रमाणित नहीं किया गया था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी शहादत के मनमाने तौर पर प्रतिवादी नं० 1 हरलाल का मथुरालाल के गोद जाना मान कर प्रतिवादी हरलाल एंव प्रतिवादी अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री प्रदान करने में त्रुटि की है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमा कर प्रतिवादी नं0 1 हरलाल के 1/2 हिस्से की भूमि का वादी रेस्पो० नं० 1 को खातेदार घोषित फरमा कर प्रतिवादी न० 1 हरलाल का नाम खाते से खारिज किये जाने का एक पक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान कर प्रतिवादीगण अपीलान्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि मथुरालाल जी के खाते की भूमि हरलाल के खाते गोदपुत्र के आधार पर दर्ज नहीं हुई थी बल्कि नामान्तरकरण सं० 183 के जरिये एवं मथुरालाल जी की पुत्री दोला बाई की वसीयत के आधार पर दर्ज हुई थी। प्रतिवादी नं० 1 हरलाल, मथुरालाल जी का गोद पुत्र नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के सर्वथा गलत एवं त्रुटि पूर्ण रूप से मनमाने तोर पर प्रतिवादी नं० 1 हरलाल का मथुरालाल के गोद जाना मान कर निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। वाद विषयक, अपील विषयक आराजियात वाके ग्राम आमापुरा तहसील बारां के 1/2 हिस्से की आराजियात पर प्रतिवादी नं0 1 हरलाल अपने जीवनकाल तक निरन्तर काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद से उसके वारिसान प्रतिवादी अपीलान्ट हरलाल के पुत्र व पत्नी उपरोक्त आराजियात पर निरन्तर काबिज चले आ रहे है एवं वर्तमान में भी काबिज है। वादी रेस्पो० नं० 1 का प्रतिवादी अपीलान्ट काली बाई, प्रेम चन्द, रामू एंवम पुरुषोत्तम के हिस्से की भूमि पर कब्जा नहीं है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पो० नं० 1 का उपरोक्त आराजियात पर कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी दावा डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। प्रतिवादी अपीलान्ट के हिस्से एवं खाते की भूमि पर वादी रेस्पो० नं० 1 का कब्जा नहीं था। इस कारण वादी रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत दावा कब्जे के अभाव में पोषणीय नहीं था एवं खारिज किये जाने योग्य था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय रूप से डिक्री फरमाने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15–02–2022 को एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्टान का सूचना दिये बिना सर्वथा गैर कानूनी रूप से पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री में संशोधित कर खसरा नम्बरान एवं रकबे में दुरूस्ती कर संशोधित निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है दावे में भी गलत खसरा नम्बर व रकबा दर्ज किये गये है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाने में त्रुटि की है। दावे में भी खसरा नम्बर 58 का रकबा 0.29 हेक्टर ही दर्ज है, संशोधित निर्णय व डिक्री डिक्री में खसरा नम्बर 58 का रकबा दावे को विपरीत त्रुटिपूर्ण रूप से 0.39 हेक्टर दर्ज कर दिया तथा खसरा नं. 685 के स्थान पर खसरा नं. 585 दर्ज कर दिया गया जो निरस्तनीय है। दावे में संशोधन कराये बिना निर्णय एवं डिक्री में में कानूनन संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद व काउन्टर क्लेम के आधार पर 6 तनकीयात कायम की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 व्यवहार विधि संहिता के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं कर तनकीवार निर्णय पारित नहीं करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री आदेश 20 नियम 5 व्यवहार विधि संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को गोद का बिन्दू निर्णित करने का अधिकार नहीं है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अवैध व त्रुटि पूर्ण एवं अधिकार विहिन होने से निरस्तनीय है।

अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्त फरमायी जावे तथा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावा वादी रेस्पो० न० 1 खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाया जावे। बसूरत दीगर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादीगण अपीलान्टान को शहादत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर बहस समाअत कर पुनः निर्णय व डिक्री पारित करे। अन्य सहायता जो न्याय संगत हो अपीलान्टान को प्रदान फरमायी जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांटगण को बिना सूचना के निर्णय दिया है, जिसकी जानकारी दिनांक 26.07.2022 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–2–2022 एंवम् संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 6–6–2022 की अप्रसन्नता से प्रतिवादीगण अपीलान्टस् द्वारा धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत सम्माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है। वाद विषयक, अपील विषयक उपरोक्त आराजियात वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में वादी रेस्पो० नं0 1 एवं प्रतिवादी अपीलाट नं0 1 हरलाल के नाम बांट बराबर दर्ज है। वादी रेस्पो० नं० 1 का वाद में यह भी कथन है कि प्रतिवादी नं० 1 हरलाल अपने बचपन से ही मथुरालाल के दत्तक पुत्र चला गया था। इस कारण उसने मथुरालाल की ग्राम आमापुरा तहसील बारां की 6 किता की 9.31 हेक्टर भूमि प्राप्त की थी क्योंकि मथुरालाल के कोई पुत्र नहीं था। प्रतिवादी नं० 1 हरलाल ने मथुरालाल की पाग भी बांधी थी। वादी का वाद में यह भी कथन है कि हरलाल ने वादग्रस्त भूमि में उसका 1/2 हिस्सा था उसे काश्त करना छोड दिया इस कारण लॉ ऑफ एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर बतौर खातेदार अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित भूमियां ग्राम आमापुरा में प्रतिवादी नं० 1 का जो 1/2 हिस्सा दर्ज है, उसको हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमायी जावे।

प्रतिवादी नं० 1 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया एवं वादग्रस्त में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलान्टस के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी रेस्पो० एक पक्षीय डिक्री कर दिया तथा प्रतिवादी अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया। वादी रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने के विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलान्टस् द्वारा सम्माननीय न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। काउन्टर क्लेम खारिज करने के विरूद्ध पृथक से अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रतिवादीगण अपीलान्टस् के वकील साहब की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण अपीलान्टस् को प्रकरण की तारीख पेशी बाबत जानकारी नहीं होने से प्रतिवादीगण अपीलान्टस् न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण को दावे की पुनः सूचना देना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों कर

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में 2023 (1) आर आर टी पेज–1 पर प्रकाशित निर्णय महत्वपूर्ण है–

Order Passed in gross violation of principle of Natural justic is not sustainable

अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी नं० 1 हरलाल, मथुरालाल आ० भेरूलाल का गोद पुत्र नहीं था तथा मथुरालाल जी ने प्रतिवादी नं० 1 हरलाल को गोद नहीं लिया था। वादी रेस्पो० नं० 1 द्वारा हरलाल को मथुरालाल द्वारा गोद लेने के तथ्य को प्रमाणित भी नहीं किया गया था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी रेस्पो०नं० 1 डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। जमाबन्दी के इन्द्राज से गोद प्रमाणित नहीं होता है इस कानूनी बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाने में त्रुटि की है। इस सम्बन्ध में 2023 (2) आरआरटी पेज 858 (एचसी) में प्रकाशित निर्णय महत्वपूर्ण है–

The opening of Mutiation alone cannot establish the adoption

अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि मथुरालाल जी के खाते की भूमि हरलाल के खाते गोदपुत्र के आधार पर दर्ज नहीं हुई थी बल्कि नामान्तरकरण सं० 183 के जरिये एवं मथुरालाल जी की पुत्री दोला बाई की वसीयत के आधार पर दर्ज हुई थी। प्रतिवादी नं० 1 हरलाल, मथुरालाल जी का गोद पुत्र नहीं है। वाद विषयक, अपील विषयक आराजियात वाके ग्राम आमापुरा तहसील बारां के 1/2 हिस्से की आराजियात पर प्रतिवादी नं. 1 हरलाल अपने जीवनकाल तक निरंतर काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद से उसके वारिसान प्रतिवादी अपीलांट हरलाल के पुत्र व पत्नी उपरोक्त आराजियात पर निरंतर काबिज चले आ रहे है एवं वर्तमान में भी काबिज है। वादी रेस्पोडेंट का प्रतिवादी अपीलांट के हिस्से की भूमि पर कब्जा नहीं है। दिनांक 26.07.2022 को पटवारी हल्का द्वारा बतलाने पर प्रतिवादी अपीलांट्स को निर्णय व डिक्री जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन फरमाया जावे। इस संबंध में 2020 (1)डीएनजे राजस्थान पेज 265 पर प्रकाशित निर्णय महत्वपूर्ण है–

First appeal filed after delay of more then 3 years-allegation that the counsel did not inform them regarding dismissal of the suit matter right to have been disposed on merits - right of immoveable property should not to be diaperied on technical grounds held can current judgments are set-aside and matter is recommend to the trial court.

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 6 तनकीयात कायम की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं कर आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की पालना नहीं करने में त्रुटि की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है। इस संबंध में 1984 आरआरडी पेज 51 एवं 2008 आरआरडी पेज 696 का निर्णय महत्वपूर्ण है। अतः उपरोक्त तर्को व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों के आधार पर लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व डिक्री जेर, अपील निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि ग्राम आमापुरा की आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 4.50 हेक्टर स्थित है। रेस्पोडेन्ट केसरा व अपीलांट हरलाल दोनो श्रीलाल जी के पुत्र है किन्तु श्रीलाल जी ने अपने जीवनकाल में ही अपने काका मथुरालाल पुत्र भैरू को उसके कोई संतान नहीं होने के कारण अपने पुत्र हरलाल को गोद दे दिया था तबसे हरलाल, मथुरालाल जी के पास ही रहा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

इस प्रकार श्रीलाल से विरासत में प्राप्त हुई जमीनो मे हरलाल का कोई हक हकूक नही था खाते मे गलत रूप से उसका नाम दर्ज हो गया जबकि हरलाल को मथुरालाल के दत्तक पुत्र चले जाने से मथुरालाल के खाते की भूमियां खसरा नं0 56 खसरा नं. 104 खसरा नं0 271, खसरा नं0 520, खसरा नम्बर 104/674 खसरा नं0 58/606 कुल किता 6 कुल रकबा 9.31 हेक्टर हरलाल को प्राप्त हुई है। इस तथ्य को हरलाल द्वारा मथुरालाल जी की पाग बांधना था गोद जाना अपने स्वयं के न्यायालय एम.जे.एम. बारां के केस नं0 291/93 बउनवान कस्तूरी बनाम केसरा मे पी. डल्ब्यू. 4 के रूप मे हरलाल स्वयं के बयान हुये है जिसमे स्वीकार किया गया है जो हरलाल के बयान प्रदर्श–6 व प्रदर्श–8 है इस प्रकार हरलाल द्वारा खुद की स्वीकारोक्ति होने के कारण वह अपने वचनों से प्रतिबन्धित है तथा हरलाल को किसी भी प्रकार का हिस्सा श्रीलाल की सम्पत्ति मे नही है श्रीलाल की सम्पत्ति हरलाल का मथुरालाल के गोद जाने के बाद केवल केसरा को प्राप्त हुई है। मथुरालाल की भूमियो के हाल खसरा नम्बरो के सेटलमेन्ट के पूर्व साबिक खसरा नं0 63 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं. 109 रकबा 33 बीघा खसरा नं0 181 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा खसरा नं0 354 रकबा 1 बिस्वा कुल 4 किता कुल रकबा 57 बीघा 18 बिस्वा था जो सम्मत 2016–19 की जमाबंदी मे भैरी बेवा मथुरा धाकड के नाम दर्ज थी दिनांक 20–01–1963 को इन भूमियो का इंतकाल नं0 40 तस्दीक हुआ जिसमे भूमियां भैरी के नाम थी तथा इंतकाल से हरलाल के नाम दर्ज हुआ है जिसमे भी भैरी ने हरलाल को अपना पुत्र स्वीकार किया है तथा स्वयं हरलाल ने भी पी.डब्ल्यू.–2 के रूपमे मथुरालाल का दत्तक पुत्र स्वीकार किया है इस कारण हरलाल श्रीलाल के जीवनकाल मे ही मथुरालाल के गोद चला गया था। प्रताप व मथुरालाल दोनो सगे भाई थे प्रताप के दो पुत्र नारायण व श्रीलाल हुये मथुरलाल के कोई संतान नही थी इस प्रकार श्रीलाल के केसरा व हरलाल दो पुत्र थे जिसमे से हरलाल को मथुरालाल ने श्रीलाल की सहमति से गोद ले लिया था इस प्रकार प्रतापजी के फौत होने पर उनके 1/2 भाग पर नारायण व 1/2 भाग पर रेस्पो०/वादी केसरा का नाम दर्ज होना चाहिये था किन्तु वादी / रेस्पो० के साथ हरलाल का नाम गलत रूपा से इन्द्राज हो गया जिसे रेस्पो० हटवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन कराने का अधिकारी है। इसी प्रकार दौराने वाद हरलाल द्वारा ग्राम आमापुरा की आराजियात मे खसरा नं0 57 रकबा 0.92 हेक्टे० खसरा नं0 58 रकबा 0.39 हेक्टे० खसरा नं0 94 रकबा 0.70 हेक्टे० खसरा नं0 582 रकबा 0.15 हेक्टे० खसरा नं0 583 रकबा 0.35 हेक्टे० खसरा नं0 585 रकबा 0.23 हेक्टे० कुल 6 किता कुल रकबा 2.74 हेक्टर में से 1/2 हिस्सा रजिस्टर्ड बेचान नामे से बेचान कर दिया जो अजनबी केता होने से हरलाल द्वारा किये गये बेचान का कोई अधिकार प्राप्त नही होते हुये भी वादग्रस्त भूमियो का किया गया बेचान प्रभावशून्य होने के कारण रेस्पो०/वादी शून्य घोषित करवाने का अधिकारी है इसी प्रकार इंतकाल क्रमांक 403 दिनांक 21–09–2006 से जो ग्राम आमापुरा की आराजियात मे कुल 6 किता कुल रकबा 2.74 हेक्टर मे 1/2 हिस्से पर अपीलांट मृतक हरलाल के बजाय अजनबी केता के नाम खोला गया इंतकाल है जिसे भी रेस्पो/वादी निरस्त करवाने का अधिकारी है।

अपीलांट मृतक हरलाल को जब अपने दत्तक पिता मथुरालाल से मथुरालाल की आराजियात विरासत मे प्राप्त हो चुकी है ओर खुद हरलाल द्वारा अपने आपको मथुरालाल का गोद पुत्र स्वीकार किया तथा हरलाल को गोद जाने के बाद अपने जन्मदाता पिता श्रीलाल की आराजियात मे कोई अधिकार शेष नही रहे इस प्रकार श्रीलाल के देहान्त होने पर उसके 1/2 हिस्से मे रेस्पो./वादी के साथ हरलाल का नाम गलत रूप से अंकन किया गया है जिसे रेस्पो./वादी हटवाकर श्रीलाल के संपूर्ण हिस्से पर अपना नाम दर्ज कराकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी एवं नालिशी है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर व संपूर्ण रिकार्ड व तथ्यो को बारीकी से अध्ययन करके विधिसम्मत निर्णय व डिकी दिनांक 15–02–2022 एवं संशोधित निर्णय व डिकी दिनांक 06–06–2022 विधिवत रूप से पारित किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है अपीलांटगण द्वारा गलत रूप से मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील मे मियाद का ऐसा कोई कारण अंकित नही किया गया जिससे यह साबित हो कि इतने लंबे समय बाद अपील की गई है उसका कोई ठोस आधार अपीलांटगण के पास नही है इस प्रकार अपील मियाद बाहर होने के कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है। तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिकी विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांटगण निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। संदर्भित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.02.2022 से वादी का घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा स्वीकार कर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी कुल किता 8 रकबा 4.50 हेक्टर सम्पूर्ण पर वादी को खातेदार कृषक घोषित कर प्रतिवादी क्रम 1 का नाम खाते से खारिज करने का निर्णय पारित करने के साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे। प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर उक्त निर्णय एवं काउंटर क्लेम के विरूद्ध क्रमशः दो अपीलें अपील संख्या 2022/155 एवं अपील संख्या 2022/156 प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में दौराने वाद प्रतिवादी नं. 1 हरलाल की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसके वारिसान कायममुकाम प्रतिवादी 1/1 से 1/4 की ओर से पं. मदन गोपाल जी शर्मा वकील नियुक्त थे। दिनांक 06.09.2015 को वकील साहब की मृत्यु हो गयी। जिसकी सूचना प्रतिवादीगण अपीलांट को नहीं तो सकी। दिनांक 29.09.2016 को वकील साहब एवं प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण अपीलांट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2022 पारित की गई तथा संशोधित डिक्री दिनांक 06.06.2022 को एकपक्षीय पारित की गई। प्रतिवादीगण के वकील साहब की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण को प्रकरण की तारीख पेशी बाबत् जानकारी नहीं होने से प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। उपरोक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण को दावे की पुनः सूचना देनी चाहिये थी। अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र की अप्रमाणित छायाप्रति के अनुसार मदन गोपाल शर्मा जी की मृत्यु दिनांक 06.09.2015 को हुई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 29.09.2016 को अमल में लाई गई। इससे यही स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता की मृत्यु दिनांक 06.09.2015 से 29.09.2016, एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने की तिथि तक लगभग एक वर्ष की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अवधि में एक बार भी सम्पर्क नहीं किया गया। एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने की दिनांक 29.09.2016 के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग पांच से छः साल बाद दिनांक 15.02.2022 को निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त अवधि में अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा अपने विरूद्ध अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को सेट-ए-साइड कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया, ना ही अपने अधिवक्ता की मृत्यु के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराया। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अपने अधिवक्ता से समन्वय रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में अपना पक्ष रखना एवं दस्तावेज प्रस्तुत करना प्रतिवादी अपीलांट का विधिक दायित्व था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से प्रतिवादीगण द्वारा अपने विधिक दायित्व का निर्वहन नहीं करना स्पष्ट होता है। इससे प्रथम दृष्टया यह ही स्पष्ट होता है प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार प्रकरण में सफलता की उम्मीद नहीं थी। अपीलांट प्रतिवादीगण का कथन है कि उनके अधिवक्ता की मृत्यु के पश्चात न्यायालय द्वारा उन्हें विचाराधीन दावे की पुनः सूचना देनी चाहिए थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता की मृत्यु होने का तथ्य प्रस्तुत होना नहीं पाया गया। अतः अपीलांट का यह कथन कि पुनः सूचना देनी चाहिए थी, विधिसम्मत नहीं है।

अपीलांट के अनुसार प्रतिवादी नं. 1 हरलाल, मथुरालाल आत्मज भैरूलाल का गोदपुत्र नहीं था तथा वादी रेस्पोडेंट नं. 1 कैसरा द्वारा प्रतिवादी नं. 1 का गोद पुत्र होना प्रमाणित नहीं किया गया था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने हरलाल को मथुरालाल के गोद जाना मानकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है।

अपीलांट प्रतिवादीगण के उक्त कथन का खण्डन वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य तथा इन दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पारित अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15/02/2022 में अंकित तथ्यों से होना स्पष्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि :–

"प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम आमापुरा सम्वत 2024–27 खाता संख्या 39 में भेरी बेवा मथुरालाल, हरलाल वल्द श्रीलाल कोम धाकड के खातेदारी में नाम दर्ज है। नकल नामा0 संख्या 42 ग्राम आमापुरा के अनुसार इंतकाल में लिखा है कि नामा. 40 पेश हुआ मुकाम भेरी बेवा मथुरालाल सा. आमापुरा ने अपने खाते की कुल आराजी 57.17 बीघा अपने पोता हरलाल पुत्र श्रीलाल धाकड को 1/2 हक देना व अपने खाते में बराबर पर नाम दर्ज कराना तस्दीक किया लिहाजा अमल मंजूर है कागजात में मु0 भेरी बेवा मथुरालाल 1/2 हिस्सा व हरलाल पुत्र श्रीलाल हिस्सा 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे। दर्ज कर सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया है नकल जमाबंदी ग्राम आमापुरा सम्वत 2056–59 खाता संख्या 65 में डोलीबाई पुत्री मथुरालाल हिस्सा 1/2 हरलाल पुत्र श्रीलाल हिस्सा 1/2 कोम धाकड सा. देह दर्ज है। जमाबंदी के कॉलम संख्या 12 से 17 में नामा0 नं0 337 दिनांक 05.08.2002 से खसरा नम्बर 271 रकबा 1.57 हेक्टर भूमि केता बृजराज वालिद सोहनलाल नाबा0 पुत्र गोविन्दलाल नाबा0 का वली पिता स्वयं कोम धाकड के नाम खाते दर्ज करने का नोट अंकित है। नकल जमाबंदी ग्राम आमापुरा सम्वत 2057–59 में केशरा, हरलाल पुत्र श्रीलाल कौम धाकड सा0 देह दर्ज है। जमाबंदी के कॉलम संख्या 12 से 17 में नामा0 संख्या 280 दिनांक 28.04.2001 से खसरा नं. 152 रकबा 0.46 हेक्टर भूमि रतनलाल, दुर्गाशंकर, रमेशचन्द, बिरधीलाल, नवनीत पुत्र रामनारायण व कस्तूरी बेवा रामनारायण हिस्सा बराबर सा0 देह जाति धाकड के नाम दर्ज किया जाना स्वीकृत हुआ, का नोट अंकित है। नकल जमाबंदी ग्राम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आमापुरा सम्वत 2016–19 खाता संख्या 35 में मु0 भेरी बेवा मथुरा कौम धाकड के नाम दर्ज है। नकल नामा0 संख्या 83 ग्राम आमापुरा के अनुसार भेरी बाई के मरने के बाद गोदपुत्र हरलाल के नाम नामान्तरण खोला गया। नकल जमाबंदी ग्राम आमापुरा सम्वत 2032–35 खाता 59 के अनुसार भेरीबाई बेवा मथुरा हिस्सा 1/2 हरलाल पुत्र श्रीलाल हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। नकल बयान डी.डब्ल्यू.–4 हरलाल पुत्र श्रीलाल द्वारा अपने बयानों की जिरह में बताया कि मथुरालाल के जब मैं गोद रहा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं तो बच्चा था तथा यह भी जानकारी नहीं है कि गोद लेने का कोई दस्तावेज लिखाया गया हो। नकल जमाबंदी ग्राम रीठोड सम्वत 2054–57 खाता संख्या 11 में दाखा पुत्री लाला (जोजे शंकरलाल) सीता पुत्री लाला (जोजे केशरीलाल) धाकड दर्ज है। नकल निर्णय दिनांक 29.10.1990 न्यायालय एमजेएम बारां उनवान कस्तूरीबाई बनाम केशरा में वादिया का वाद डिक्री किया गया जिसमें घर वादी को खाली कर संभलाये जाने का आदेश हुआ। नकल जमाबंदी ग्राम आमापुरा सम्वत 2052–55 खाता संख्या 56 में दोलीबाई पुत्री मथुरालाल हिस्सा 1/2 हरलाल पुत्र श्रीलाल हिस्सा 1/2 दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम आमापुरा सम्वत 2052–55 खाता संख्या 23 में केसरा, हरलाल पुत्र श्रीलाल का नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तोवेजी साक्ष्यों से यह साबित होता है कि प्रतिवादी हरलाल, खातेदार मृतक मथुरालाल के गोदपुत्र गया था जिसकी पुष्टि हरलाल प्रतिवादी के बयान डी.डब्ल्यू.–4 न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम को दिये गये, से होती है तथा मृतक भेरी बाई बेवा मथुरालाल के बयान पी.डब्ल्यू.–1 में यह स्वीकार किया है कि हरलाल, मथुरालाल के यहां गोद चला गया था। माननीय न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बारां के निर्णय दिनांक 29.10.1990 में यह लिखा गया कि मथुरालाल की बेवा द्वारा अपने बयानों में यह स्वीकार किया गया कि हरलाल, मथुरालाल के यहां गोद चला गया था। अतः इस स्थिति के बाद प्रताप जी के दानों लडके नारायण व श्रीलाल की जायदाद का बंटवारा होने का तथ्य मौखिक होना इसलिए स्वीकार है, क्योंकि श्रीलाल का पुत्र केसरा ही श्रीलाल का हिस्सेदार था। हरलाल मथुरालाल के दत्तक पुत्र होने के नाते मथुरालाल की जायदाद में चला गया। विवाधक संख्या 5, 6, 7 के निर्णय में हरलाल मथुरालाल के गोद गया है। इस तथ्य को स्वयं पी.डब्ल्यू.–1 में अपनी जिरह में स्वीकार किया है, लिखा गया है। नकल नामा0 संख्या 40 भेरी बाई बेवा मथुरालाल द्वारा ग्राम आमापुरा में अपने खाते की आराजी 56.17 बीघा में अपने पौत्र हरलाल पुत्र श्रीलाल धाकड ग्राम आमापुरा को 1/2 हक देना व अपने खाते में बराबर पर नाम दर्ज कराना तस्दीक किया गया है तथा नामा0 संख्या 183 के अनुसार मु. भेरी का मरना जाहिर हुआ मौजूदा गोद लिया लडका खाते के अनुसार हरलाल ही है, हरलाल ही कुल भूमि पर काबिज है तथा खातेदार की मौजूदगी से ही वारिस बना हुआ है यह नजदीकी में पौत्र लगता है के नाम सम्पूर्ण भूमि पर दर्ज किया गया इससे यही साबित होता है कि हरलाल मृतक मथुरालाल का गोद पुत्र था इसलिए मथुरालाल की सम्पूर्ण भूमि पर हरलाल का नाम दर्ज हुआ। परंतु हरलाल द्वारा उनके पिता श्रीलाल की मृत्यु के बाद अपना नाम भी वादी केसरा के साथ दर्ज करवा लिया जबकि हरलाल को अपने पिता की सम्पत्ति/भूमि में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं था। हरलाल द्वारा अपने पिता श्रीलाल की भूमि में 1/2 हिस्से पर नाम आ जाने का नाजायज फायदा उठाकर भूमि अन्य लोगों को बेचान कर दिया गया।"

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त निर्णय में अंकित उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से होना पाया गया। वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह भली भांति स्पष्ट होता है कि अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 हरलाल को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मथुरालाल का गोदपुत्र होने के आधार पर ही मथुरालाल के खाते की आराजी प्राप्त हुई है। इसी आधार पर हरलाल को अपने पिता श्रीलाल के खाते की आराजी में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने यह भी कथन किया है कि प्रतिवादी नं. 1 हरलाल अपने जीवनकाल तक अपने हिस्से की 1/2 आराजी पर निरंतर काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी अपीलांट हरलाल के पुत्र व पत्नी निरंतर काबिज चले आ रहे हैं एवं वर्तमान में भी काबिज है परंतु अपने कब्जे का साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य जैसे खसरा गिरदावरी आदि अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलांट के कथन की पुष्टि होना नहीं पाया जाता। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए विधिवत् निर्णय पारित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें, अपील संख्या 2022/155 एवं अपील संख्या 2022/156 (काउण्टर क्लेम) सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2022 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2022 / 155

1– स्वर्गीय हरलाल आत्मज श्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा तहसील बारां जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान–

1/1–कालीबाई पत्नी स्व० श्री हरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां

1/2–प्रेमचन्द पुत्र स्व० श्री हरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां

1/3–रामू पुत्र स्व० श्री हरलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां

1/4–पुरुषोत्तम पुत्र स्व० श्री हरलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां

2– प्रिया राजावत पुत्री प्रताप सिंह जी राजावत जाति राजपूत निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां

..... **अपीलांट**

बनाम

1– कैसरा आत्मज श्रीलाल जाति धाकड निवासी आमापुरा हाल निवासी ग्राम रीठोद पोस्ट तिसाया तहसील किशनगंज जिला बारा

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बारां जिला कोटा

..... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 2022 / 156 (काउण्टर क्लेम)

1– स्वर्गीय हरलाल आत्मज श्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा तहसील बारां जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान–

1/1– कालीबाई पत्नी स्व० श्री हरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां

1/2– प्रेमचन्द पुत्र स्व० श्री हरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां

1/3– रामू पुत्र स्व० श्री हरलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां

1/4– पुरुषोत्तम पुत्र स्व० श्री हरलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां

2– प्रिया राजावत पुत्री प्रताप सिंह जी राजावत जाति राजपूत निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां

..... **अपीलांट**

बनाम

1– कैसरा आत्मज श्रीलाल जाति धाकड निवासी आमापुरा हाल निवासी ग्राम रीठोद पोस्ट तिसाया तहसील किशनगंज जिला बारा

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बारां जिला कोटा

.....**रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2022 / 155 व 2022 / 156(काउण्टर क्लेम)** एवं नाराजगी डिकी अदालत –**उपखण्ड अधिकारी, बारां**
मु.द.नं **106 / 2007** निर्णय एवं डिकी दिनांक **15.02.2022** एवं संशोधित डिकी दिनांक **06.06.2022**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 20 माह 11 सन् 2024

श्री **नरेन्द्र कुमार गुप्ता** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **ओमप्रकाश मेहता–।।** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें, अपील संख्या 2022/155 एवं अपील संख्या 2022/156 (काउण्टर क्लेम) सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2022 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 10 माह 12 सन् 2024 को जारी किया गया ।

मोहर

10/12/2024

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)